रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1617] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937
No. 1617] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2015

का.आ. 2097(अ).–द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) का खंड 15, केन्द्रीय सरकार को, किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या लोक हित को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के सभी या किसी उपबंध से साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट देने के लिए सशक्त करता है;

अतः, अब, उक्त आदेश के खंड 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उक्त आदेश के खंड 11 के उपबंधों से छूट प्रदान करती है और उसे दस हजार मीट्रिक टन प्रतिमास तक अपनी घरेलू तौर पर उत्पादित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को अपनी स्वयं की समानांतर विपणन प्रणाली की आवश्यकता के लिए उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

(क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समान मात्रा में आयात करना होगा और उसका पब्लिक सेक्टर तेल विपणन कंपनियों को उस कीमत पर परिदान करना होगा जो इस संव्यवहार को तेल विपणन कंपनियों के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा घरेलू उत्पादन से उसी मात्रा में उपापन के मुकाबले लागत-निरपेक्ष या अधिक सस्ता बनाती हो ;

(ख) यह ठहराव कांडला बंदरगाह पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात सुविधा के पुनः आरंभ होने तक या 31 मार्च, 2016 तक या अगला आदेश होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य होगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[फा. सं. पी-17018/4/2008-एलपीजी(भाग 4)]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन : चूंकि पूर्वतर अधिसूचना सं. का.आ.1999(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गई थी इसलिए तारीख 6 अगस्त, 2014 की अधिसूचना को अप्रैल, 2015 से निरंतरता देने के लिए यह अधिसूचना जारी की जा रही है। इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2015

S.O. 2097(E).— Whereas clause 15 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000 (hereafter in this notification referred to as the said Order), empowers the Central Government, for avoiding any hardship or in consideration of the public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any person or class of persons from all or any of the provisions of this Order, either generally or for any specific purpose, and subject to such conditions as may be specified in the notification;

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by clause 15 of the said Order, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempt the provisions of clause 11 of the said Order and authorises the Reliance Industries Limited to use its domestically produced Liquefied Petroleum Gas for their own Parallel Marketing System requirement of up to ten thousand metric tonne per month subject to the following conditions, namely:-

(a) the Reliance Industries Limited shall have to import the equivalent quantity and deliver it to public sector Oil Marketing Companies at a price which makes this transaction, cost-neutral or cheaper to Oil Marketing Companies, *vis a vis* procurement of same quantity from domestic production by Reliance Industries Limited;

(b) this arrangement shall be valid till Liquefied Petroleum Gas import facility at Kandla Port is re-commissioned or 31st March, 2016 or till further Orders, whichever is earlier.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st April, 2015.

[F. No. P-17018/4/2008-LPG (Pt. 4)]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum – Since the earlier notification number S.O. 1999 (E), dated the 6th August, 2014 was expired on 31st March, 2015, this notification is being issued with effect from 1st April, 2015 to give continuity to the notification dated the 6th August, 2014. No one is adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.